International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

अकबर और उनके धार्मिक विचार: समन्वय, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप

Ankita Singh

NET- History
Email:ankitasingh1805@gmail.com
Address: Sitabadi william street karauli(raj.)
Pin: 322241

प्रस्तावना

अबुल-फतह जलाल उद-दीन मुहम्मद अकबर, जिसे अकबर प्रथम या अकबर महान के नाम से जाना जाता है (15 अक्टूबर 1542 - 27 अक्टूबर 1605), भारत में मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे महान शासकों में से एक थे। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, अकबर ने 1556 में बैराम खान के संरक्षण में सिंहासन ग्रहण किया। बैराम खान ने युवा सम्राट को साम्राज्य के विस्तार और संगठन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।अकबर ने अपनी सैन्य कुशलता और राजनीतिक कूटनीति से भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। गोदावरी नदी के उत्तर तक फैले इस साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक दृष्टि से भी भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया। अकबर ने प्रशासनिक केंद्रीकरण की नीति अपनाई और विजय प्राप्त शासकों के साथ वैवाहिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को एकीकृत किया।धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाले साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए, अकबर ने अपनी नीतियों में उदारता और समावेशिता का समावेश किया। उनकी धार्मिक नीति का उद्देश्य केवल इस्लामी राज्य की पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ सके। उन्होंने इस्लामिक परंपराओं से परे जाकर एक फारसीकृत संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे वे लगभग दिव्य स्वरूप के सम्राट के रूप में उभरे।

इस अध्ययन का उद्देश्य अकबर के धार्मिक विचारों, उनकी सुलह की नीति, और धार्मिक विविधता को लेकर उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। यह उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की खोज करने का एक प्रयास है।

प्रारंभिक वर्ष: राजपूताना की विजय

उत्तरी भारत पर मुगल शासन स्थापित करने के बाद, अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए राजपूताना की विजय को अपनी प्राथमिकता बनाया। भारत-गंगा के उपजाऊ मैदानों पर आधारित कोई भी स्थायी शाही शक्ति तब तक सुरक्षित नहीं मानी जा सकती थी जब तक कि राजपूताना में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी केंद्र मौजूद हो। राजपूताना का भौगोलिक और सामरिक महत्व, वहां के शासकों की बहादुरी के साथ मिलकर, इसे अकबर के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक विजय क्षेत्र बनाता था।मुगलों ने पहले ही उत्तरी राजपूताना के कुछ हिस्सों, जैसे मेवाड़, अजमेर, और नागौर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन राजपूताना का हृदय अभी भी स्वतंत्र था, और यह स्वतंत्रता उन राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित थी जिन्होंने पहले कभी दिल्ली

सल्तनत या उसके मुस्लिम शासकों के सामने समर्पण नहीं किया था। अकबर ने न केवल राजपूताना को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, बल्कि उन्होंने इन वीर राजाओं के दिल और विश्वास जीतने का भी लक्ष्य रखा।

1561 की शुरुआत में, अकबर ने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से राजपूतों को अपने साम्राज्य में शामिल करने की रणनीति अपनाई। अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और उनके साथ संधियाँ कीं। हालांकि, मेवाड़ के शासक उदय सिंह इस अधीनता के लिए तैयार नहीं थे।

राणा उदय सिंह और मेवाड़ का प्रतिरोध

राणा उदय सिंह, प्रसिद्ध सिसोदिया वंश के शासक और राणा सांगा के वंशज थे। राणा सांगा वही योद्धा थे जिन्होंने 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर का सामना किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। सिसोदिया वंश भारत में राजपूतों के बीच सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित माने जाते थे। उनका वंश केवल एक राजसी शक्ति का नहीं, बल्कि राजपूत गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक था। सिसोदिया वंश के प्रमुख के रूप में उदय सिंह को अन्य राजपूत राजाओं और सरदारों का सर्वोच्च अनुष्ठानिक दर्जा प्राप्त था।अकबर यह समझते थे कि जब तक मेवाड़ जैसे प्रमुख राजपूत राज्य को अधीनता तक सीमित नहीं किया जाएगा, तब तक राजपूतों के बीच मुगलों की शाही सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अकबर, अपने शासन के इस प्रारंभिक काल में, इस्लाम के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखते थे और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं को पराजित कर अपनी धार्मिक और सैन्य श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे।

रणनीति और महत्व

राजपूताना की विजय अकबर की दोहरी रणनीति का हिस्सा थी—पहला, सामरिक दृष्टिकोण से अपने साम्राज्य के किनारों को सुरक्षित करना और दूसरा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से राजपूत राजाओं को अपने साथ लाकर एक स्थायी और शक्तिशाली शासन स्थापित करना। इसके लिए उन्होंने शस्त्र और शांति, दोनों का सहारा लिया। युद्धक्षेत्र में पराक्रम दिखाने के साथ-साथ, उन्होंने राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए।हालांकि अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की नीति को स्वीकार कर लिया, मेवाड़ और उदय सिंह का प्रतिरोध अकबर के सामने एक चुनौती बना रहा। यह प्रतिरोध केवल सैन्य नहीं था, बल्कि यह राजपूत अस्मिता और स्वतंत्रता का भी प्रतीक था। उदय सिंह का इनकार अकबर को दिखाता था कि केवल युद्ध या कूटनीति से पूरे राजपूताना को झुकाया नहीं जा सकता।अकबर के लिए यह स्पष्ट था कि राजपूताना में विजय केवल क्षेत्रों के अधिग्रहण तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे सम्राट के रूप में उभरने का अवसर था जो सैन्य शक्ति और कूटनीति का समान रूप से उपयोग कर सके। राजपूतों के दिलों में जगह बनाना और उनके साथ साझेदारी करना उनके दीर्घकालिक शासन के लिए आवश्यक था।

अकबर की धार्मिक नीति और उनकी सुलह-ए-कुल की अवधारणा उनके शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। अकबर का उद्देश्य न केवल साम्राज्य के राजनीतिक और सैन्य विस्तार को सुनिश्चित करना था, बल्कि साम्राज्य के भीतर विविध धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करना भी था।

अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अभियान: एक राजनीतिक पृष्ठभूमि

गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों की सफल विजय के बाद, अकबर ने अपने साम्राज्य को और अधिक सुरक्षित करने के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया की ओर ध्यान दिया। काबुल पर कब्ज़ा और अपने भाई मिर्जा मुहम्मद हकीम के विद्रोह को नियंत्रित करना उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। काबुल का प्रशासन अपने परिवार और विश्वासपात्रों को सौंपकर, अकबर ने न केवल विद्रोहों का समापन किया, बल्कि इस क्षेत्र को स्थायित्व भी प्रदान किया।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति

अकबर का दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत अनुभवों और उनके साम्राज्य की ज़रूरतों से गहराई से प्रभावित था। बचपन में सूफीवाद के संपर्क से लेकर उनके दरबार में विविध धार्मिक पृष्ठभूमियों के अधिकारियों और विचारकों की उपस्थिति तक, अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था।

सुलह-ए-कुल की अवधारणा

सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) अकबर की धार्मिक नीति का केंद्रीय विचार था। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण पर आधारित थी। यह विचार न केवल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था, जो उनकी साम्राज्यवादी दृष्टि को समर्पित था।
सुलह-ए-कुल का मुख्य उद्देश्य था:

1. **धार्मिक भेदभाव का उन्मूलन**: सभी धर्मों के अनुयायियों को एक समान मानना।
2. **आध्यात्मिक चर्चा**: विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।
3. **राजनीतिक स्थिरता**: साम्राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखना।

इबादतखाना और धार्मिक संवाद

फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना की स्थापना अकबर की गहरी धार्मिक रुचि का प्रतीक है। यह स्थल धार्मिक संवादों का केंद्र था, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों और संतों ने अपनी मान्यताओं पर चर्चा की। अकबर का उद्देश्य सभी धर्मों की शिक्षाओं को समझना और एक साझा नैतिक आधार विकसित करना था।

धार्मिक सहिष्णुता के चार चरण

1. **आरंभिक सहिष्णुता (1556-1575):** अकबर ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाते हुए जजिया कर हटाया और राजपूतों के साथ राजनीतिक गठजोड़ किया।
2. **आध्यात्मिक अन्वेषण (1575-1580):** इबादतखाना में चर्चा और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन उनके विचारों को आकार देने में सहायक रहा।
3. **सुलह-ए-कुल की स्थापना (1580-1582):** अकबर ने सार्वभौमिक शांति के विचार को औपचारिक रूप दिया।
4. **दीन-ए-इलाही का निर्माण (1582-1605):** अकबर ने विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर एक नया पंथ विकसित किया, जो आध्यात्मिक एकता का प्रतीक था।

धार्मिक नीति की व्याख्या

अकबर की धार्मिक नीति केवल एक राजनीतिक कदम नहीं थी; यह उनकी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास यात्रा का परिणाम थी। यह नीति:

- **सांस्कृतिक विविधता का सम्मान** करती थी।
- **राजनीतिक स्थिरता** को बढ़ावा देती थी।
- साम्राज्य को एक **सामंजस्यपूर्ण समाज** बनाने का प्रयास थी।

अकबर की नीतियाँ उनके समय से कहीं अधिक प्रगतिशील थीं और आज भी विविध समाजों में शांति और एकता के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।अकबर का शासन न केवल उनकी सैन्य उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए, बल्कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावादी नीतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। परंपरागत इस्लामी कानून और व्यवहार के खिलाफ जाकर अकबर ने अपने शासनकाल को एक नई दिशा दी, जो उनकी दूरदर्शिता और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा का उन्मूलन

राजपूतों की वीरता और साहस से प्रभावित होकर, अकबर ने युद्ध के बंदियों को गुलाम बनाने और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। यह निर्णय भारत के किसी मुस्लिम शासक द्वारा लिया गया अपने आप में अनूठा और साहसिक कदम था। इस नीति ने न केवल मानवता के प्रति उनकी संवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि उन्हें गैर-मुस्लिम प्रजा का सम्मान और समर्थन भी दिलाया। यह कदम, जो एक नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित था, अकबर को एक उदार और प्रगतिशील शासक के रूप में स्थापित करता है।

जज़िया कर का उन्मूलन

1564 में जज़िया कर को समाप्त करना अकबर के सबसे क्रांतिकारी और लोकप्रिय निर्णयों में से एक था। यह कर हिंदुओं पर उनके धर्म के आधार पर लगाया जाता था, जिससे उन्हें राज्य की पूर्ण नागरिकता से वंचित कर दिया जाता था। जज़िया का उन्मूलन न केवल धार्मिक समानता को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, बल्कि इससे अकबर को उनकी प्रजा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि, इस निर्णय के कारण राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और उन्हें रूढ़िवादी मुस्लिम समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अकबर ने सभी धार्मिक समुदायों के प्रति निष्पक्षता की अपनी नीति को बनाए रखा।

इबादत-खाना की स्थापना

अपने शासन के मध्य में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत-खाना (पूजा घर) की स्थापना की। इस स्थान पर उन्होंने धार्मिक विद्वानों और संतों के साथ संवाद करने की परंपरा शुरू की। शुरुआत में, यह स्थान केवल मुस्लिम धर्मशास्त्रियों के लिए आरक्षित था, लेकिन धीरे-धीरे इसे अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों के लिए भी खोल दिया गया।शुरुआती दिनों में इबादत-खाना में चर्चा मुस्लिम धर्मशास्त्रियों तक सीमित थी। यहाँ विद्वानों को दो गुटों में बांटा गया था। एक ओर रूढ़िवादी सुन्नी विचारधारा वाले उलेमा थे, जिनका नेतृत्व शेख मखदूम उल-मुल्क और शेख अब्दुन नबी कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर स्वतंत्र विचारकों और उदारवादी दृष्टिकोण वाले धर्मशास्त्री थे, जिनका प्रतिनिधित्व शेख मुबारक, फैज़ी और अबुल फज़ल ने किया। अकबर ने इन चर्चाओं के माध्यम से विभिन्न

धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को समझने की कोशिश की और सहिष्णुता और सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) के अपने सिद्धांत को और गहराई दी।

सुलह-ए-कुल की अवधारणा

अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण उनकी सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक शांति) की नीति में स्पष्ट रूप से झलकता है। यह नीति धार्मिक भेदभाव और कट्टरता को समाप्त कर समाज में शांति, सद्भाव और समरसता स्थापित करने का प्रयास करती थी। सुलह-ए-कुल का विचार न केवल धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था, बल्कि इसमें सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर और अधिकारों की भावना भी निहित थी।

अकबर की धार्मिक नीति का प्रभाव

अकबर की धार्मिक नीतियों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने न केवल विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सद्भाव और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया, बल्कि अपने प्रशासन में भी धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया। उनकी नीतियों ने उनके साम्राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का विश्वास अर्जित किया और उन्हें भारत में एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित किया।

निष्कर्षतः, अकबर का परंपरागत इस्लामी कानून और व्यवहार के खिलाफ जाना उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण और सभी धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता को दर्शाता है। उनकी मानवतावादी और समावेशी नीतियों ने न केवल उनके शासन को स्थिरता प्रदान की, बल्कि उनके साम्राज्य को एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में विकसित किया।

दीन-ए-इलाही की स्थापना

दीन-ए-इलाही अकबर का एक अनूठा प्रयोग था, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा धर्म स्थापित करना था, जो सहिष्णुता और आपसी सौहार्द्र को बढ़ावा दे। यह न तो एक पूर्ण धर्म था और न ही इसका उद्देश्य किसी पर इसे थोपना था। अबुल फजल के अनुसार, दीन-ए-इलाही के अनुयायियों की संख्या सीमित थी, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रयोगशीलता को दर्शाता है।

अकबर की धार्मिक नीति के चार स्तंभ

अकबर की धार्मिक नीति ने सहिष्णुता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित चार प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया:

1. **मित्रता का स्तंभ:** सभी धर्मों और जातियों के प्रति मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना।
2. **समता का स्तंभ:** धार्मिक भेदभाव समाप्त कर समानता को बढ़ावा देना।
3. **दया का स्तंभ:** दया और करुणा के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सामंजस्य स्थापित करना।
4. **सहिष्णुता का स्तंभ:** धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना।

अकबर की हिंदू नीति के प्रभावकारी कारक

अकबर की हिंदू नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल थे:

- **भक्ति आंदोलन का प्रभाव:** धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के विचारों का प्रसार।
- **स्वभाव से उदारता:** अकबर का स्वभाव स्वाभाविक रूप से उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाला था।

- **परिवार और शिक्षकों का प्रभाव:** उनकी माँ, शिक्षकों, और सूफी विचारधारा ने उनकी धार्मिक सहिष्णुता को गहराई से प्रभावित किया।
- **हिंदू पत्नियों का योगदान:** उनके हिंदू पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों ने उन्हें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति अधिक उदार बनाया।
- **राजपूतों का संपर्क:** राजपूत सहयोग ने अकबर को हिंदू समाज की संवेदनाओं को समझने और उन्हें अपने शासन में समाहित करने में मदद की।

हिंदुओं के प्रति अकबर के मैत्रीपूर्ण उपाय

अकबर ने हिंदुओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे:

- जजिया और तीर्थयात्रा कर का उन्मूलन।
- हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद।
- हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्ति, जैसे राजा टोडरमल और राजा मानसिंह।
- सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ कदम।
- मंदिर निर्माण और उनकी मरम्मत की स्वतंत्रता।

अकबर की धार्मिक नीति का महत्व

1. **साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण:** हिंदुओं के सहयोग ने अकबर के साम्राज्य को मजबूत बनाने में मदद की।
2. **सांस्कृतिक एकता:** हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच समन्वय और सामंजस्य को प्रोत्साहित किया।
3. **धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण:** अकबर की नीति ने धार्मिक भेदभाव को कम कर एक धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी।
4. **सामाजिक सुधार:** सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता और सुधारों को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष

अकबर की धार्मिक नीति और दीन-ए-इलाही न केवल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को हल करने का भी एक यथार्थवादी दृष्टिकोण था। अकबर का उद्देश्य एक ऐसे समावेशी और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करना था, जहाँ विभिन्न धर्म और समुदाय न केवल सह-अस्तित्व में रह सकें, बल्कि परस्पर सहयोग और सद्भाव से एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण करें। उनके द्वारा अपनाए गए उपाय जैसे जज़िया कर का उन्मूलन, धार्मिक बहसों का आयोजन, और दीन-ए-इलाही की स्थापना, तत्कालीन समाज में धार्मिक कट्टरता को कम करने और सहिष्णुता के बीज बोने के प्रयास थे।हालाँकि, अकबर की इन नीतियों को व्यापक रूप से समर्थन नहीं मिला। मुस्लिम धर्मगुरु और रूढ़िवादी वर्ग उनकी नीतियों से नाखुश थे, क्योंकि वे पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देते थे। साथ ही, हिंदू पुनरुत्थान और धार्मिक पुनर्जागरण के दौर में अकबर के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सके। फिर भी, उनके प्रयासों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी और यह दिखाया कि विविधताओं से भरे समाज में शांति और सह-अस्तित्व कैसे संभव हो सकता है।

अकबर ने केवल एक धार्मिक नेता या सुधारक के रूप में नहीं, बल्कि एक कुशल शासक के रूप में कार्य किया, जिसने समझा कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करना एक स्थायी और स्थिर शासन के लिए आवश्यक है। दीन-ए-इलाही, भले ही एक स्थायी धार्मिक आंदोलन के रूप में विफल हो गया, लेकिन यह

एक विचारधारा के रूप में महत्वपूर्ण था, जिसने धर्म से परे जाकर मानवता, समानता, और सामूहिकता पर जोर दिया।

अकबर की धार्मिक नीतियाँ, उनके शासन की धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की दृष्टि को दर्शाती हैं। ये नीतियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि एक सुदृढ़ और प्रगतिशील समाज केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करने से ही बन सकता है। इस प्रकार, अकबर के प्रयास भारत के इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में देखे जाते हैं, जिसने धार्मिक समरसता और सामाजिक समन्वय के विचार को सजीव किया।

संदर्भ

1. मेहता, J.L. – एडवांस्ड स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया Vol.2; स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, नई दिल्ली, 1984,
2. शर्मा, S.R. – भारत में मुगल साम्राज्य भाग 1 [1526- 1781]; कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस, बॉम्बे
3. अली, अतहर-मुगल इंडियाःराजनीति, विचारों, समाज और संस्कृति में अध्ययन; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नईदिल्ली, 2012,
4. चंद्र, सतीश-मध्यकालीन भारतः सल्तनत से मुगल साम्राज्य तक (1526-1748) भाग-2; हरानंद पब्लिकेशंसप्रा. लि. (2006)